भीड़ में मंगलसूत्र उड़ाने वाली दो महिलाएं गिरफ्तार

मंगल मार्केट में महिला को धक्का देकर छीना था दो लाख रुपये का मंगलसूत्र, पुलिस ने दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः अयोध्यानगर थाना पुलिस ने भीड़भाड़ वाले बाजारों और धार्मिक आयोजनों में महिलाओं को निशाना बनाकर ज्वेलरी चोरी और छीनने वाली महिला गैंग का पर्दाफाश किया है।

पुलिस ने मंगल मार्केट में महिला को धक्का देकर उसके गले से करीब दो लाख रुपये कीमत का सोने का मंगलसूत्र छीनने वाली दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के शेगांव की रहने वाली हैं पुलिस के अनुसार, 19 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे इको ग्रीन सिटी निवासी 53 वर्षीय राधा अहिरवार मंगल मार्केट में सब्जी खरीद रही थीं। इसी दौरान दो महिलाओं ने योजनाबद्ध तरीके से उन्हें भीड़ में आगे-पीछे से धक्का देकर गिरा दिया। इसके बाद उनके गले से सोने का मंगलसूत्र छीनकर दोनों महिलाएं भीड़ का फायदा उठाकर भागने लगीं। पीड़िता की आवाज सुनकर ड्यूटी पर तैनात पुलिस टीम ने लोगों की मदद से भाग रहीं दोनों महिलाओं को पकड़ लिया। तलाशी में उनके कब्जे से करीब 15 ग्राम वजन का सोने का मंगलसूत्र बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग दो लाख रुपये है।

घरों में काम करने के बहाने भी वारदात

पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार महिलाएं शहरों में भीड़भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं को निशाना बनाती थीं। इसके अलावा पॉश कॉलोनियों में घरों में झाड़ू-पोछा का काम करने के बहाने चोरी की वारदात करने की भी जानकारी सामने आई है। पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर उनके अन्य अपराधों और गिरोह से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है।

महाराष्ट्र की रहने वाली हैं दोनों आरोपी

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 30 वर्षीय जयश्री अनिल सोनोने और 35 वर्षीय अरुणा संदीप मराठा के रूप में हुई है। दोनों शेगांव, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र की निवासी हैं पुलिस के मुताबिक घरों में झाड़ू-पोछा का काम करती हैं। दोनों के खिलाफ अयोध्यानगर थाने में अपराध क्रमांक 418/26, धारा 309(2), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

पुलिस आयुक्त संजय कुमार और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शैलेन्द्र सिंह चौहान के निर्देश पर भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चोरी, लूट और ठगी करने वाले गिरोहों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जोन-2 के पुलिस उपायुक्त विकास सहवाल के निर्देश और वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में अयोध्यानगर थाना पुलिस की टीम ने कार्रवाई की।

शोभा लेखवानी के हिंदी के प्रचार-प्रसार में योगदान की सराहना

नप्र, भोपाल : एनआईटीटीटीआर के राजभाषा प्रकोष्ठ की ओर से वरिष्ठ सहकर्मी श्रीमती शोभा लेखवानी के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। संस्थान के निदेशक डॉ. सी.सी. त्रिपाठी ने श्रीमती लेखवानी के राजभाषा हिंदी के प्रभावी प्रयोग और प्रचार-प्रसार में योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति सेवा यात्रा का एक पड़ाव है, जबकि कर्मचारी का संस्थान के प्रति समर्पण, कार्य के प्रति निष्ठा और योगदान सदैव स्मरणीय रहता है। राजभाषा प्रकोष्ठ की गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता के माध्यम से श्रीमती लेखवानी ने हिंदी के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजभाषा समन्वयक डॉ. प्रमोद कुमार पुरोहित ने भी श्रीमती लेखवानी के राजभाषा संबंधी योगदान और सक्रिय सहभागिता की सराहना की।

चौराहे होंगे लेफ्ट टर्न फ्री, ब्लैक स्पॉट होंगे दूर

संभागायुक्त ने सड़कों के रख-रखाव और निर्माण एजेंसियों की बैठक में दिए निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी शहर के सभी चौराहों को लेफ्ट टर्न फ्री बनाने के साथ ब्लैक स्पॉट दूर किए जाएंगे। बारिश में खराब हुई सड़कों की तत्काल मरम्मत होगी और जलभराव की समस्या का भी निराकरण किया जाएगा।

संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने गुरुवार को सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित निर्माण एजेंसियों की बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर के ब्लैक स्पॉट दूर करने के लिए यातायात पुलिस, नगर निगम और सभी निर्माण एजेंसियां आपसी समन्वय से काम करें। जिन स्थानों पर तत्काल ब्लैक स्पॉट खत्म करना संभव नहीं है, वहां प्रभावी संकेतक लगाए जाएं। उन्होंने भोपाल आने वाले प्रमुख मार्गों की स्थिति सुधारने के निर्देश भी दिए।

मेट्रो मार्गों की सड़कें तत्काल सुधारें

मेट्रो निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत में तेजी लाने के निर्देश देते हुए संभागायुक्त ने कहा कि मेट्रो और संबंधित निर्माण एजेंसियां आपसी समन्वय से निर्णय लें, ताकि आम लोगों को सुगम आवागमन मिल सके। उन्होंने कहा कि समग्र रूप से सड़कों की स्थिति बेहतर रखना सभी एजेंसियों की जिम्मेदारी है।

दो माह में बैरागढ़ क्षेत्र का ब्रिज कार्य पूरा करने के निर्देश

संत हिरदाराम नगर में बन रहे ओवरब्रिज की धीमी गति पर संभागायुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी दो माह में बैरागढ़ मार्केट क्षेत्र में ब्रिज से संबंधित कार्य पूरा कर मार्ग को यातायात के लिए सुगम बनाने को कहा।

सांची-भोजपुर जाने वाले मार्गों पर भी ध्यान

संभागायुक्त ने बताया कि जनवरी में भोपाल में जीआईएस प्रस्तावित है। इसे देखते हुए शहर के साथ आसपास के पर्यटन स्थलों तक जाने वाले मार्गों पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। सांची और भोजपुर जैसे पर्यटन स्थलों की सड़कों की स्थिति सुधारने को कहा गया।

रोड सेफ्टी पर जोर

बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। भोपाल बायपास रोड पर रायसेन जंक्शन के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर के समीप एप्रोच रोड बनाने तथा रोड सेफ्टी के लिए पर्याप्त साइनेज और रेडियम लगाने के निर्देश दिए गए।

मेट्रो निर्माण में फिर भारी लापरवाही

चलती कार पर गिरा मोटा सरिया 90 वर्षीय बुजुर्ग बाल-बाल बचे

निशातपुरा थाने के सामने निर्माणाधीन स्टेशन के पास हादसा,पहले भी करोंद में हो चुकी हैं गंभीर घटनाएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी में मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी एक बार फिर उजागर हुई है। मंगलवार रात निशातपुरा थाने के सामने निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन के पास ऊपर से एक मोटा सरिया अचानक नीचे आ गिरा और सड़क से गुजर रही कार पर जा गिरा। कार में सवार 90 वर्षीय बुजुर्ग बाल-बाल बच गए, लेकिन वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

हादसे के बाद परिवार ने मेट्रो निर्माण कर रही यूआरसी कंपनी के खिलाफ निशातपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार बैरसिया रोड स्थित हर्रा खेड़ा निवासी माहेश्वरी परिवार अपने 90 वर्षीय पिता को इलाज कराकर वापस घर लौट रहा था। रात में जैसे ही उनकी कार निशातपुरा थाने के सामने निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन के पास पहुंची, तभी ऊपर से एक भारी सरिया अचानक कार पर गिर पड़ा। सरिया गिरते ही कार में बैठे लोग दहशत में आ गए। संयोग रहा कि बड़ा हादसा टल गया, वरना जानलेवा स्थिति बन सकती थी। घटना के बाद परिजनों ने निर्माण एजेंसी की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि जिस स्थान पर भारी निर्माण कार्य चल रहा है, वहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नजर नहीं आते। यदि चलती कार पर सरिया गिर सकता है, तो राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा किस भरोसे है।

यह पहला मामला नहीं है, जब भोपाल मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य में लापरवाही सामने आई हो। इससे पहले करोंद चौराहे पर पिलर का लोहे का जाल गिर चुका है। वहीं करोंद चौराहा क्रॉसिंग पर पोकलेन मशीन की चपेट में आकर बिजली के तार टूट गए थे, जिससे शहीद भगत सिंह की प्रतिमा भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। लगातार सामने आ रही घटनाओं ने मेट्रो निर्माण स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण एजेंसियां तेजी से काम पूरा करने के दबाव में सुरक्षा प्रोटोकॉल को गंभीरता से नहीं ले रहीं। भारी मशीनें, खुले सरिये, असुरक्षित ढांचे और अपर्याप्त बैरिकेडिंग आम नागरिकों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन और मेट्रो प्रबंधन को केवल प्रगति रिपोर्ट नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की जवाबदेही भी तय करनी चाहिए।

फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। यह देखा जा रहा है कि हादसे के समय निर्माण स्थल पर सुरक्षा प्रबंधन कैसा था और एजेंसी की ओर से क्या एहतियात बरते गए थे। मेट्रो प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।

इधर, भोपाल मेट्रो परियोजना का एक हिस्सा परिचालन में है, जबकि शहर के कई हिस्सों में निर्माण जारी है। ऐसे में बार-बार सामने आ रही घटनाएं यह संकेत दे रही हैं कि परियोजना की रफ्तार के साथ सुरक्षा पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा। निशातपुरा की ताजा घटना ने साफ कर दिया है कि यदि निर्माण एजेंसियों की जवाबदेही तय नहीं हुई, तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

एक नज़र में...

- प्रायोरिटी कॉरिडोर (सुभाष नगर-एम्स) पर कमर्शियल संचालन शुरू हो चुका है और 17 अगस्त 2026 से फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर लगभग 15 मिनट कर दी गई है।
- ऑरेंज लाइन को करोंद चौराहा और ब्लू लाइन को रत्नागिरी तिराहा तक बढ़ाने का काम जारी है।
- दोनों निर्माणाधीन हिस्सों को जून 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
- ऑरेंज लाइन के भूमिगत हिस्से में दो टीबीएम से टनलिंग चल रही है; अगस्त 2026 तक लगभग 260 मीटर सुरंग बनने की बात सामने आई है।
- फेज-1 की कुल लंबाई लगभग 30.8-30.9 किमी, संशोधित स्टेशन संख्या 27, और जून 2026 तक भौतिक प्रगति लगभग 60% बताई गई है।
- फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियां निर्माण की समयसीमा, भूमिगत कार्य की गति, सड़क रेस्टोरेशन और साइट सेफ्टी हैं।

भाई साहब, हमें भी मौका दीजिए......

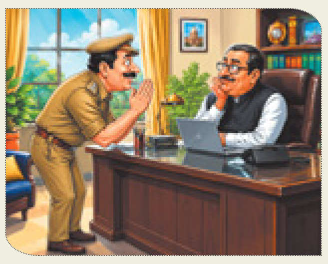

लंबे समय से मुख्यालय में पदस्थ एक साहब, जो तीन जिलों में कप्तान की लंबी पारी खेलकर अभी कुछ महीने पहले ही कम महत्वपूर्ण विभाग में पदस्थ हुए हैं, लेकिन उन्हें यह रास नहीं आ रहा। दिल्ली में एक बड़े साहब से उन्होंने मिलकर यह आग्रह किया कि भाई साहब, हमें भी आपके क्षेत्र में सेवा करने का अवसर दीजिए।

कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा...

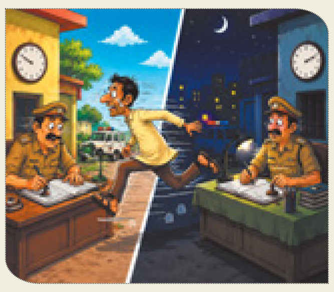

लंबे समय से मध्यप्रदेश में फर्जी और एक ही तरह के गवाहों की हर केस में उपस्थिति शंकाएं पैदा कर रही है। पिछले दिनों एक दरोगा जी ने एक ही व्यक्ति की अलग-अलग जगहों पर एक ही दिन उपस्थिति दर्ज कराकर बड़ा चमत्कार कर दिया। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि एक ही समय में आखिर दो जगह कैसे उपस्थित हो सकता है कोई?

किस पर भरोसा किया...

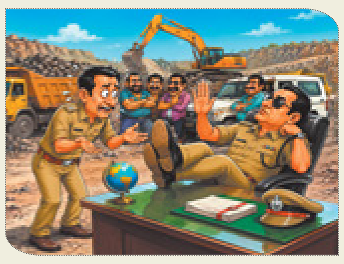

अपने एक बड़े साहब के भरोसे कुछ ताकतवर खनन माफिया से सीधे भिड़ना भारी पड़ गया। जब कार्रवाई को जस्टिफाई करने का मौका आया तो जिनके भरोसे माफियाओं से लोहा लेने दरोगा जी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्हीं बड़े साहब ने हाथ खींच लिए। अब अपनी जांच करा रहे दरोगा जी अपने साथियों से यही कह रहे हैं कि हमने भी आखिर किस पर भरोसा कर लिया।

फरमाइशें पूरी करते-करते हाल बेहाल...

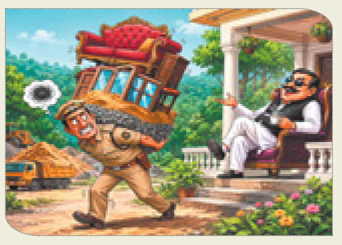

अच्छी माइनिंग और घने जंगलों के लिए मशहूर एक जिले के साहब इन दिनों एक बड़े साहब की बढ़ती फरमाइशों से लगातार परेशान हैं। साहब ने पहले रेत-गिट्टी का सहयोग मांगा, फिर दरवाजे-खिड़कियों की मांग की और अब फर्नीचर की भी डिमांड कर दी है। लगातार बढ़ती मांगों ने साहब को घनचक्कर बना रखा है। सहयोग अब समस्या का रूप लेता जा रहा है और फरमाइशों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा।

करे कोई, भरे कोई...

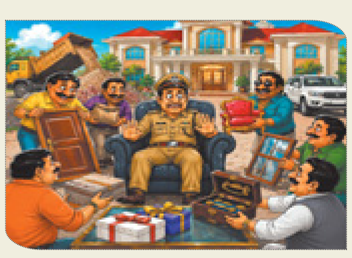

पिछले दिनों एक जिले में रहे पूर्व कप्तान साहब, जो अब प्रमोशन पाने के बाद किसी अन्य बड़ी जगह पर पदस्थ हैं, उन्होंने अपना निजी निवास बनवाया। रेत-गिट्टी की मदद तो पूर्व पदस्थापना वाले जिले से भरपूर हो गई, लेकिन नए घर के खिड़की-दरवाजे और फर्नीचर का काम किसी पर भारी पड़ गया। उत्साह-उत्साह में साहब की मदद करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाला मटेरियल उपलब्ध तो करा दिया, लेकिन अब अन्य बड़े साहब और कुछ माननीयों की तरफ से डिमांड आने लगी, जिसके कारण साहब परेशान हैं।

इश्क में सब हो सकता है...

एक जिले में पदस्थ साहब का मन इन दिनों बरसात में भटकने लगा है। कुछ महीने पहले इन्हीं दिनों ट्रेनिंग के दौरान एक समकक्ष से नैन-मटक्का होने के कारण साहब का व्यवहार बदल गया था। पिछले दिनों राजधानी से दूर एक जिले में पदस्थापना के दौरान मौका मिला, फिर से उसी दौर में जाने का। दोनों की पदस्थापना अलग-अलग और बहुत दूर के जिलों में है। यही कारण है कि साहब मिलने जाने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ़ते नजर आते हैं।

विधायक पंकज उपाध्याय का आमरण अनशन जारी

किसानों और रोजगार के हित में होगा फैसलाःकृषि मंत्री कंसाना

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुरैना जिले के कैलारस शक्कर कारखाने को दोबारा शुरू कराने की प्रक्रिया तेज हो गई है। कारखाना शुरू करने के लिए एमएसएमई विभाग जल्द ही निविदा आमंत्रित करेगा। वहीं, जौरा से कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय का मांग को लेकर 15 अगस्त से आमरण अनशन भी जारी है।

कैलारस शक्कर कारखाने को शुरू कराने की मांग को लेकर विधायक के समर्थन में कांग्रेस के कई नेता और विधायक पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी कैलारस पहुंचकर आंदोलन में शामिल होंगे। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने बताया कि सरकार ने कारखाने को पुनः शुरू करने की प्रक्रिया और भविष्य की योजना तैयार कर ली है। कारखाना शुरू होने से गन्ना किसानों की आय बढ़ेगी और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

कृषि मंत्री के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कैलारस शक्कर कारखाने की जमीन का उपयोग उद्योगों की स्थापना और रोजगार बढ़ाने के लिए करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद कारखाने की जमीन एमएसएमई विभाग को हस्तांतरित की गई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कारखाने को दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग कैलारस और आसपास के क्षेत्रों में गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करेगा, ताकि कारखाने के संचालन के लिए पर्याप्त गन्ना उपलब्ध हो सके।

सोलह श्रृंगार का आयोजन महिलाओं ने उत्साह से लिया हिस्सा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः श्री पशुपतिनाथ नेपाली समाज के सभागृह में गुरुवार को पहली बार 16 श्रृंगार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नारी शक्ति को समर्पित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज की उपाध्यक्ष श्रीमती माया पांडे ने की।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग की पत्नी रहीं। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती लक्ष्मी घिमिरे ने किया। निर्णायक समिति ने विभिन्न प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया। इसके बाद प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली प्रतिभागियों सहित सभी सहभागियों को सम्मानित किया गया।

विशेष उपहार और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ आयोजन, बच्चों का बढ़ा उत्साह

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः नवजीवन सेवा समिति एवं माता महालक्ष्मी अन्नक्षेत्र की ओर से स्पर्श भवन स्थित शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्च माध्यमिक विद्यालय और शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालक-बालिका आवासीय विद्यालय में अगस्त माह में जन्मदिन वाले 33 दिव्यांगजनों का मासिक जन्मदिन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। संस्था की ओर से सभी दिव्यांगजनों को विशेष उपहार प्रदान किए गए। समिति के अध्यक्ष सत्येंद्र अग्रवाल ने कहा कि नवजीवन सेवा समिति और माता महालक्ष्मी अन्नक्षेत्र बच्चों के हित में हरसंभव सहयोग के लिए सदैव तत्पर है। समिति के प्रवक्ता भगवान दास ढालिया ने कहा कि दिव्यांगजनों के बीच जन्मदिन मनाकर खुशियां बांटना संस्था के सेवा कार्यों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे आयोजनों से बच्चों में उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ता है। कार्यक्रम में तरंग अग्रवाल, विनीता दिवाकर, नेहा गुप्ता, पूजा दीदी और दीपक मेहरा उपस्थित रहे।

न्यायालय तहसीलदार, वृत्त-1, तहसील-हुजूर, जिला भोपाल

प्रकरण कमांक- 2267/अ-6/सन्-2022-23
मौजा मुबारकपुर तहसील हुजूर, भोपाल

उद्घोषणा पत्र

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है। आवेदिका अदिति अग्रवाल पुत्री स्व. श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल निवासी-म.न.49 जैन मंदिर रोड चौक बाजार भोपाल ने न्यायालय श्रीमान अधिकारी महोदय तहसील हुजूर जिला भोपाल के प्रकरण क्रमांक 73/अपील/2025-26 आदेश दिनांक 10.02.2026 के परिपालन में म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की गई भूमि खसरा क्रमांक-274/1/2/1/घ, 277/1-278-296/277/2/1/घ रकबा 0.366 हे. में से 0.097 हे. भूमि स्थित ग्राम मुबारकपुर प.ह.न. 07 तहसील हुजूर, जिला भोपाल का नामांतरण/अमल राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया है। इस संबंध में गीता अग्रवाल पत्नी रघुनंदन अग्रवाल निवासी-69 इब्राहिमपुरा भोपाल एंव श्रीमती ज्योति गुप्ता पत्नी श्री संतोष कुमार गुप्ता निवासी लखेरापुरा शहर भोपाल और श्रीमती सुमन अग्रवाल पत्नी श्री प्रकाश अग्रवाल निवासी-कैलाश कुन्ज नयापुरा भोपाल एंव उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 01.09.2026 को या इस से पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक को 17.08.2026 जारी किया गया।

अतिरिक्त तहसीलदार
तहसील हुजूर भोपाल

1361

न्यायालय तहसीलदार, वृत्त-1, तहसील-हुजूर, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक- 1866/अ-6/सन्-2019-20
मौजा मुबारकपुर तहसील हुजूर, भोपाल

उद्घोषणा पत्र

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है। आवेदिका अदिति अग्रवाल पुत्री स्व. श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल निवासी म.न.49 जैन मंदिर रोड चौक बाजार भोपाल ने न्यायालय श्रीमान अधिकारी महोदय तहसील हुजूर जिला भोपाल के प्रकरण क्रमांक 74/अपील/2025-26 आदेश दिनांक 10.02.2026 के परिपालन में म.प्र.भूरा. संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की गई भूमि खसरा क्रमांक-274/1/2/1/घ, 277/1-278-296/277/2/1/घ रकबा 0.366 हे. में से 0.097 हे. भूमि स्थित ग्राम मुबारकपुर प.ह.न. 07 तहसील हुजूर, जिला भोपाल का नामांतरण/अमल राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया है। इस संबंध में गीता अग्रवाल पत्नी रघुनंदन अग्रवाल निवासी-69 इब्राहिमपुरा भोपाल एंव श्रीमती ज्योति गुप्ता पत्नी श्री संतोष कुमार गुप्ता निवासी लखेरापुरा शहर भोपाल एंव उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 01.09.2026 को या इस से पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समया वधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक को 17.08.2026 जारी किया गया।

अतिरिक्त तहसीलदार
तहसील हुजूर भोपाल

1362

जाहिर सूचना
(मुख्तारनामा निरस्ती बावत)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा श्रीमती सीमा देवकर पत्नी श्री देवीदास देवकर आयु लगभग 58 वर्ष निवासी एक्स सर्विसमेन कॉलोनी, पोंड रोड, पुणे महाराष्ट्र ने अपने स्वामित्व की भूमि खसरा क्रमांक 158/124/1/1/1 एवं 199/130 रकबा 5.36 एकड स्थित ग्राम अरेडी विकास खंड फंदा तहसील हुजूर जिला भोपाल में स्थित है के संबंध मे विचाराधीन प्रकरण एफ.ए. 151/2006 श्रीमती ओमवती व अन्य विरूद्ध सीमा व अन्य उच्च न्यायालय मे लंबित के संबंध मे मुख्तारनामा दिनांक 20.07. 2023 को नंदकिशोर राजपूत आत्मज मिश्री लाल राजपूत निवासी ग्राम अरेडी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पक्ष मे निष्पादित किया था उपरोक्त मुख्तारनामा दिनांक 20.7.2023 मेरी पक्षकारा आज दिनांक को निरस्त करती है उक्त दिनांक के पश्चात नंदकिशोर राजपूत आत्मज मिश्री लाल राजपूत को कोई भी अधिकार प्राप्त नही होगे मेरी पक्षकारा की भूमि के संबंध मे एवं उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील के संबंध मे कोई कार्यवाही करने के अधिकार नही होगे। तदानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति, संस्था एव उच्च न्यायालय के समक्ष नंदकिशोर राजपूत आत्मज मिश्री लाल राजपूत को कोई कार्यवाही करने का अधिकार नही होगा।

भवदीय **रवि मीणा, अधिवक्ता**
कार्यालय 233, दुर्गा नगर, हबीबगंज नाका
भोपाल पिन कोड-462023
मो.न.-9752263634

1363

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-2, अयोध्या नगर, भोपाल

आम सूचना

अशोका गार्डन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भोपाल में शेड/भवन क्रमांक 94 बी-सेक्टर मण्डल द्वारा श्री मोहम्मद गनी खान आत्मज श्री नूर मोहम्मद के नाम भाड़ाक्रय खरीद करार के आधार पर हस्तान्तरण आदेश क्र. 14312-18 दिनांक 10/02/1987 को हस्तान्तरित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 27/03/1987 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। श्री मोहम्मद गनी खान आत्मज श्री नूर मोहम्मद की दिनांक 24/07/2020 को मृत्यु होने के उपरांत उनकी पत्नी श्रीमती नूर बी पत्नी स्व. श्री मोहम्मद गनी खान के द्वारा उक्त संपत्ति को अपने नाम पर नामान्तरण करने हेतु आवेदन पत्र, शपथ पत्र, मूल आवंटी के अन्य वारिसों का अनापत्ति शपथ-पत्र, परिचय पत्र, मृत्युः प्रमाण पत्र एवं मण्डल प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए है। प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर उक्त सम्पत्ति श्रीमती नूर बी पत्नी स्व. श्री मोहम्मद गनी खान के नाम से नामान्तरण हेतु प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो ता 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-2 भोपाल

1364

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-2,अयोध्या नगर, भोपाल

आम सूचना

अशोका गार्डन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भोपाल में भूखण्ड/भवन क्रमांक ई.डब्ल्यू.एस. 162 ए-सेक्टर मण्डल द्वारा श्रीमती योगिता मालवीय पत्नी श्री माया शंकर मालवीय के नाम पर हस्तान्तरण आदेश क्र. 1142 दिनांक 18/11/2025 को हस्तान्तरित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 19/12/2024 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। केता/विक्रेता द्वारा आवेदन, परिचय पत्र, शपथ-पत्र, संयुक्त शपथ-पत्र एवं मण्डल प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करते हुए उक्त संपत्ति श्री सत्यम शिलावट आत्मज श्री कालूराम एवं श्रीमती मुन्नी बाई पत्नी श्री कालूराम के संयुक्त नाम पर हस्तान्तरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है एवं उप पंजीयक कार्यालय द्वारा उक्त संपत्ति का विक्रय विलेख दिनांक 16/01/2026 को क्रेता के पक्ष में दस्तावेज पंजीकृत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर उक्त संपत्ति श्री सत्यम शिलावट आत्मज श्री कालूराम एवं श्रीमती मुन्नी बाई पत्नी श्री कालूराम के संयुक्त नाम पर हस्तान्तरण का प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। उक्त संपत्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/ या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-2 भोपाल

1365